झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 34 राँची, बुधवार 29 अक्टूबर, 2025 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 723-726

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

18 सितम्बर, 2025

सं०सं०-04/नि0सं0-12-11/2016 का. 5516-- श्री रविश राज सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-149/20), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गढ़वा को दिनांक 18.06.2025 से 07.08.2025 तक (कुल 51 दिन) की अवधि के लिए निम्नवत् अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(i)	दिनांक 18.06.2025 से 02.07.2025 तक (कुल 15 दिन)	-	वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551/वि० दिनांक 01.03.2007 के आलोक में पितृत्व अवकाश।
(ii)	दिनांक 03.07.2025 से 07.08.2025 तक (कुल 36 दिन)	-	उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2025

सं०सं०-4/नि0सं0-12-238/2014 का. 5682--श्रीमती मधु कुमारी, झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एगारकुण्ड, धनबाद द्वारा उपभोग की गई अवकाश की अवधि दिनांक 10.12.2024 से 09.04.2025 तक (कुल 121 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

क)	दिनांक 10.12.2024 से 09.04.2025 तक (कुल 121 दिन)	-	उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत्,
ख)	दिनांक 10.04.2025 (कुल 01 दिन)	-	सार्वजनिक अवकाश के रूप में।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2025

संख्या-1/विविध-827/2017 खंड का०- 5593--श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झाः2016), अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 18.08.2025 से 22.08.2025 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 18.08.2025 से 21.08.2025 तक मुख्यालय छोड़ने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 अक्टूबर, 2025

सं०सं०- 02/नि0सं0-381/2012 का. 5824--श्री प्रवीण कुमार गागराई, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-817/24), परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, लातेहार के दिनांक 16.08.2025 से 31.08.2025 तक (कुल 16 दिन) का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 34-- 50 ।